







फार्म III (स्कीम-III के पैरा 3 के उप-पैरा (5) को देखें) Form III (Refer Sub-Para (5) of Para 3 of Scheme III)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित (Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

अनुज्ञित सं. क्यूएम/एल-7000485.8 Licence No. OM/L- 7000485.8

ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के नाते निम्नलिखित को पुनः प्रमाणन देता है: By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby recertified to:-

मे. हायमीडिया लबोरेटरीज प्रा. लि.,

M/s Himedia Laboratories Pvt Ltd.,

23, वधानी इंडस्ट्रियल इस्टेट, एल.बी.एस मार्ग,

23, Vadhani Industrial Estate, LBS Marg,

घाटकोपर (प), मुंबई - 400 086

Ghatkopar (W), Mumbai - 400 086

(जिसे इसमें इसके पश्चात इसे अनुजिसिधारी कहा गया है) इस अनुसूची में वर्णित विशेष तौर पर उत्पाद एवं/ या सेवाओं की प्रक्रियाओं के संबंध में गुणता प्रवंध पद्धित प्रमाणन के अनुजिसिधारकों की ब्यूरों की सूची में इस अनुजिस के अनुसार इसी संख्याधारक को अधिकार एवं अनुजिस सूचीबद्ध किया जाए । IS/ISO 9001:2015 के अनुसार गुणता प्रवंध प्रणाली के अधीन उन्कत दिए गए पते (पतों) पर केवल अनुजिसिधारक द्वारा ऐसे उत्पाद एवं/ या सेवाओं या प्रक्रियाओं को निर्मित किया/ उपलब्ध कराया/ चलाया जायेगा।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's list(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with IS/ISO 9001:2015

अनुजिस उक्त अधिनियम एवं उनके अधीन नियमों तथा विनिय<mark>मों के सं</mark>वधित उपवंधों की शर्त पर पुनः प्रमाणन किया गया है तथा उक्त संदर्गित अनुजिसयों को इसके तहत शासित किया जाता है, तथा अनुजिसिधारक उक्त नियमों एवं विनियमों का पालन किए जाने के लिए व्यूरों के प्रति प्रतिजाबद्ध है ।

The licence is recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह अनुज्ञप्ति 03 जून 2021 से 31 मार्च 2024 तक विधिमान्य रहेगा तथा विनियमों में यथा निहित पूनः प्रमाणन दिया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 03 June 2021 to 31 March 2024 and may be recertified as prescribed in Regulations.

सन दो हजार इक्कीस के जुलाई माह के बाइसर्वे दिन हस्ताक्षरित/ मुहरांकित।

Signed, Sealed and dated this Twenty Second day of July Two Thousand Twenty One.

दीपक जैन, उपमहानिदेशक (प.)

Deepak Jain, DDGW
भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Last Certification Expiry -31 Mar 2021

Certification Audit Date: 18-21 May 2021

Certification Due Date: 31 Mar 2024





